टी0टी0जैड0 क्षेत्र में थानों में निरुद्ध 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों की प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया।

प्रस्तावना:–

टी0टी0जैड0 क्षेत्र की बैठक दिनांक 19.09.2016 में यह निर्देश दिए गए थे कि टी0टी0जैड0 क्षेत्र में 15 वर्ष पुराने वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से बन्द कराया जाए। ऐसे वाहन टी0टी0जैड0 क्षेत्र में संचालित पाये जाने पर पुलिस/परिवहन विभाग द्वारा निरूद्ध किये जा रहे हैं। ये वाहन लम्बे समय से पुलिस थाने में निरूद्ध होने के कारण कबाड हो गये हैं। ऐसे वाहनों को निस्तारित करने हेतु एक नीलामी प्रक्रिया की आवश्यकता है। दिनांक 24.02.2025 को टी0टी0जैड0 की 63 वीं बैठक में इस सम्बन्ध में सैद्धान्तिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो निम्नवत् था।

(A) नीलामी हेतु सैद्धान्तिक प्रस्ताव :–

एन.सी.आर. क्षेत्र जहां पुराने वाहनों के संबंध में एन.जी.टी. द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों के अनुरूप पेट्रोल वाहनों की आयु 15 वर्ष एवं डीजल वाहनों की आयु 10 वर्ष निर्धारित है। टी0टी0जैड0 क्षेत्र में डीजल एवं पेट्रोल चालित वाहनों की आयु 15 वर्ष निर्धारित है।

उक्त के अनुक्रम में परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या **382कं0से0/2022–टी–कं0से0/2021–22 दिनांक 07.06.2022 (संलग्नक "क")** में प्रदत्त निर्णय/निर्देशों का अनुसरण मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण क्षेत्र की तरह ही टी.टी.जैड क्षेत्र में भी क्रियान्वित कराये जाने हेतु 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल/पैट्रोल वाहनों के संचालन को प्रतिबन्धित कराये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना चाहें।

1. "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की एन0ओ0सी0 निर्गत करने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में यह नोटिस प्रकाशित करायी जाय कि नोटिस प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर ऐसी समस्त वाहनें निर्दिष्ट जनपदों हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें अन्यथा ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीयन निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही, यदि ऐसी वाहनें 90 दिनों के पश्चात् संचालित पायी जाती है तो उनके विरूद्ध स्क्रैप करने की कार्यवाही की जायेगी।"

   तदनुसार टी.टी.जैड क्षेत्र में 15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल चालित निजी वाहनों के डी–रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी। नोटिस प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर ऐसी समस्त निर्दिष्ट वाहनें अन्य प्रदेश/निर्दिष्ट जनपदों (उ0प्र0 राज्य के 34 जनपद चिन्हित हैं जहां 10 वर्ष पुरानी डीजल वाहन व 15 वर्ष पुरानी पेट्रौल वाहन की एन.ओ.सी. जा सकती है) हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें अन्यथा ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीयन निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही, यदि ऐसी वाहनें 90 दिनों के पश्चात् संचालित पायी जाती है तो उनके विरूद्ध स्क्रैप करने की कार्यवाही की जाये।"

2. "10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल एवं 15 वर्ष से पुरानी पेट्रोल चालित ऐसी वाहनों, जिन्हें सक्षम स्तर से प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया है और ऐसे वाहनों के स्वामी उन्हें अवमुक्त कराने हेतु कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप ऐसी वाहनें नष्ट हो रही हैं। अतः वाहन स्वामी निरूद्ध होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवमुक्त कराने नहीं आता है तो ऐसी वाहनों को स्क्रैप करने की कार्यवाही की जाये। इस आशय की सूचना भी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी जाय।"

   टी.टी.जैड क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी पेट्रोल/डीजल चालित ऐसी वाहनों, जिन्हें सक्षम स्तर से प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया है और ऐसे वाहनों के स्वामी उन्हें अवमुक्त कराने हेतु कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप ऐसी वाहनें नष्ट हो रही हैं। वाहन स्वामी निरूद्ध होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवमुक्त कराने नहीं आता है तो ऐसी वाहनों को स्क्रैप करने की कार्यवाही की जाये। इस आशय की सूचना भी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी जाय।

   लगभग 100 निजी वाहन (डीजल/पैट्रोल) जो टी.टी.जैड क्षेत्र (जनपद आगरा) में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जनपद आगरा के विभिन्न थानों में वर्ष 2021 से निरूद्ध है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनों की निरूद्ध अवधि 90 दिनों से अधिक है। ऐसी वाहनों के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण मान्नीय न्यायालय द्वारा भी वाहन अवमुक्त के संबंध में कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। ये वाहनें विभिन्न थानों में लम्बे समय से खड़े होने के कारण नष्ट होने की स्थिति में हैं। इन वाहनों के अवमुक्त न होने के कारण थाने/डम्पिंग यार्ड में स्थान का अभाव होने के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों को निरूद्ध किये जाने में कठिनाई होती है।

3. सहायक आयुक्त म्युनिसिपिल कारपोरेशन, दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या AC/SH/N/2024/D-2319 दिनांक 17.02.2024 **(संलग्नक "ख")** के अनुसार "The scrapper shall pay the scrap value to the registered owner of the vehicle directly, when they approach the scrapper along with all documentary evidences of ownership, in accordance with existing guidelines".

Scanned with OKEN Scanner

4. Transport Department (Operations Branch) Delhi के Jt. Commissioner (Ops.) के परिपत्र संख्या F.DC/OPS/TPT/2021/075405600/122661 दिनांक 29.12.2021 (संलग्नक "ग") में वर्णित है कि "If any 10 years old deregistered Diesel Vehicle or 15 years old Petrol Vehicle if found plying on road on or after 01.01.2022, it shall be impounded and sent to scrapyard for scrapping"

टी.टी.जैड क्षेत्र में उपरोक्त परिपत्र निम्न प्रकार लागू किये जाने योग्य होगा – "If any 15 years old deregistered Diesel Vehicle or 15 years old Petrol Vehicle if found plying on road on or after TTZ Authority Decision, it shall be impounded and sent to scrapyard for scrapping"

उपरोक्त नीति को उपयुक्त मानते हुए यदि प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है तो एन0सी0आर0 की भांति टी0टी0जैड0 क्षेत्र में भी अनुमोदन की तिथि से उपरोक्त निर्णय का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

(B) टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.02.2025 में अनुमोदित आदेश :–

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी एन0सी0आर0 क्षेत्र के अनुसार लागू किये जाने के सम्बन्ध में–सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा के पत्रांक–एडी–2025/टी.टी.जैड/15 वर्ष–डीजल–पैट्रोल वाहन/2024 दिनांक 11.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्कालीन अध्यक्ष महोदया, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा टी0टी0जैड0 क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी एन0सी0आर0 क्षेत्र के अनुरूप लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के आदेश दिये गये है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि एन0सी0आर0 क्षेत्र जहॉ पुराने वाहनों के सम्बन्ध में मा0एन0जी0टी0 द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों के अनुरूप पेट्रोल वाहनों की आयु 15 वर्ष एवं डीजल वाहनों की आयु 10 वर्ष निर्धारित है। टी0टी0जैड0 क्षेत्र में डीजल एवं पेट्रोल चालित वाहनों की आयु 15 वर्ष निर्धारित है, का उल्लेख किया गया है तथा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र सं0–382कं0से0/2022–टी–कं0से0/2021–22 दिनांक 07.06.2022 में प्रदत्त निर्णय/निर्देशों का अनुसरण एन0सी0आर0 क्षेत्र की तरह ही टी0टी0जैड0 क्षेत्र में भी क्रियान्वित कराये जाने हेतु 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल/पैट्रोल वाहनों के संचालन को प्रतिबन्धित कराये जाने हेतु विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 100 निजी वाहन (डीजल/पेट्रोल) जो टी0टी0जैड0 क्षेत्र (जनपद आगरा) में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जनपद आगरा के विभिन्न थानों में वर्ष 2021 से निरूद्ध है, जिनकी निरूद्ध अवधि 90 दिनों से अधिक है। ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा भी वाहन अवमुक्त के सम्बन्ध में कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। ये वाहनें विभिन्न थानों में लम्बे समय से खड़े होने के कारण नष्ट होने की स्थिति में है। इन वाहनों के अवमुक्त न होने के कारण थाने/डम्पिंग यार्ड में स्थान का अभाव होने के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा 15 वर्ष पुराने वाहनों को निरूद्ध किये जाने में कठिनाई होती है।

ऐसे 15 वर्ष पुराने आल इण्डिया परमिट प्राप्त वाहनों को सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा नहीं रोका जाता है क्योकि आल इण्डिया परमिट प्राप्त वाहन लम्बी दूरी तय करते है, जो कि अन्य प्रदेश में रजिस्टर्ड होते है। 15 वर्ष पुराने केवल कामर्शियल वाहनों एवं लोडर्स आदि को ही रोका जाता है।

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्ण कर चुके पेट्रोल/डीजल चालित ऐसे वाहनों, जिन्हे सक्षम स्तर से प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया है और ऐसे वाहनों के स्वामी उन्हें अवमुक्त कराने हेतु कोई प्रयास नहीं कर रहे है, जिसके फलस्वरूप ऐसे वाहन नष्ट हो रहे है। ऐसे वाहनों को वाहन स्वामियों द्वारा निरूद्ध होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवमुक्त नहीं कराने पर ऐसे वाहनों को स्क्रैप करने की कार्यवाही किया जाना उचित होगा, जिसकी सूचना भी समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी। अधिकृत स्क्रैप सेन्टर्स को ही वाहन स्क्रैप हेतु दिये जायेंगे।

प्रश्नगत प्रकरण/प्रस्ताव पर परस्पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में 15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल चालित वाहन प्रतिबन्धित है तथा ऐसे वाहन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरूद्ध किये जाने के उपरान्त उनको नष्ट करने की कोई नीति नहीं है जबकि निरूद्ध वाहन विभिन्न थानों में लम्बे समय से खड़े रहते हैं तथा वाहनों के नष्ट न होने के कारण थानों/डम्पिंग यार्ड में स्थान का भी अभाव रहता है। एन0सी0आर0 में स्क्रैप पॉलिसी लागू है, जिसके तहत निरूद्ध वाहनों को नष्ट किया जाता है।

अतः टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस (उ0प्र0) व भरतपुर (राज0) में पंजीकृत 15 वर्ष पुराने प्रतिबंधित निरूद्ध डीजल/पेट्रोल वाहनों को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू स्क्रैप पॉलिसी को क्रम में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये–

1. ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस (उ0प्र0) व भरतपुर (राज0) में पंजीकृत 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल/पेट्रोल आधारित ऐसे वाहन, जिनकी समयावधि 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, के डी–रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाये। ऐसे डी–रजिस्ट्रेशन किये गये वाहनो की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाये, जिसमें यह भी स्पष्ट किया जाये

Scanned with OKEN Scanner

कि वाहन स्वामी यदि चाहे तो अपना वाहन ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के बाहर अन्य प्रदेश/निर्दिष्ट जनपदों (उत्तर प्रदेश राज्य के 34 जनपद), यहाँ 10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन की एन0ओ0सी0 दी जा सकती है, हेतु एन0ओ0सी0 प्राप्त कर लें तथा उनसे इस आशय का एक शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र भी लिया जाये कि उनके द्वारा ऐसे प्रतिबन्धित वाहन किसी भी दशा में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में संचालित नहीं किये जायेगें अन्यथा की स्थिति में ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अन्तर्गत समक्ष प्राधिकारी द्वारा पंजीयन/निलम्बन/निरस्तीरकण की कार्यवाही की जाये।

2. ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्ण चुके पेट्रोल/डीजल चालित निरूद्ध ऐसे वाहन, जिनको अवमुक्त कराने हेतु कोई प्रयास नहीं कर रहे है, को वाहन स्वामियों द्वारा निरूद्ध होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवमुक्त नहीं कराने पर ऐसे वाहनों को स्क्रैप करने से पूर्व वाहन स्वामियों को पक्ष रखने एवं अपेक्षित कार्यवाही किय जाने के सम्बन्ध में 03 माह का अवसर प्रदान करते हुये सूचित किया जाये तथा समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर आवश्यक प्रचार–प्रसार कराया जाये। उक्त निर्धारित समयसीमा के उपरान्त ऐसे वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3. ऐसे वाहन, जिनके द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के बाहर अन्य प्रदेश/निर्दिष्ट जनपदों (उत्तर प्रदेश राज्य के 34 जनपद), जहा 10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन की एन0ओ0सी0 दी जा सकती है, हेतु एन0ओ0सी0 प्राप्त करने के उपरान्त भी ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में वाहन संचालित पाये जाते है तो ऐसे वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे प्रतिबन्धित वाहन ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में किसी भी दशा में संचालित न होने पायें।

(C) <u>टी0टी0जैड0 क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के निरूद्ध वाहनों की प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया</u> :–

टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.02.2025 के प्रभावी अंश 2(2) के तहत थाने में निरूद्ध वाहनों के निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। लम्बे समय से थाने में बन्द इन वाहनों एवं भविष्य में निरुद्ध किये जाने वाले वाहनों के निस्तारण हेतु एक नीलामी प्रक्रिया की आवश्यकता है।

प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया का प्रारूप निम्नवत् है:–

1. भारत सरकार के जीएसआर सं0–653, दिनांक 23.09.2021 (संलग्नक–1) एवं जीएसआर सं0–695, दिनांक 13.09.2022 (संलग्नक–2) द्वारा रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र (Registered Vehicle Scrapping Facility) **आर0वी0एस0एफ0** के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थायें दी गयी हैं–

<u>अ–जीएसआर सं0–653:बिन्दु–8</u>-Criteria for scrapping of vehicle- The following vehicle may be offered for scrapping to the registered scrapper-
(viii) Auctioned, impounded or abandoned vehicles by any enforcement agency.

<u>ब–जीएसआर सं0–695:बिन्दु–7</u>–Vehicle impounded by an enforcement agency shall be handed over to the registered vehicle scrapping Facility, if they meet the criteria for vehicle scrapping as provided under rule.

2. भारत सरकार के उक्त जीएसआर की व्यवस्था को टी0टी0जैड0 क्षेत्र में लागू किया जाना नियमानुसार उचित है। वर्तमान में आगरा/मथुरा/फिरोजाबाद जनपद में **आर0वी0एस0एफ0** केन्द्र संचालित हैं। अतः 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की नीलामी केवल **आर0वी0एस0एफ0** केन्द्रों को की जायेगी।

3. टी0टी0जैड0 क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में नीलामी हेतु एक जनपद स्तरीय कमेटी निम्नवत् गठित की जायेगी :–

<u>जनपद स्तरीय टी0टी0जैड0 नीलामी कमेटी</u>

1	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित जनपद के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
3	सम्बन्धित जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य–सचिव

टी0टी0जैड0 नीलामी कमेटी के कार्य निम्नवत् होंगे :–

(A) कमेटी जिला स्तर पर नीलामी समिति द्वारा प्राप्त नीलामी प्रस्ताव को स्वीकृति/अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी।
(B) कमेटी नीलामी धनराशि हेतु बैंक खाता नाम निर्दिष्ट करेगी।
(C) कमेटी नीलामी से प्राप्त अवशेष धनराशि का टी0टी0जैड0 क्षेत्र में प्रदूषण रोकथाम सम्बन्धी उपायों पर व्यय सुनिश्चित करेगी।
(D) कमेटी उक्त धनराशि का प्रयोग विकास प्राधिकरण द्वारा वेहिकल डिटेंसन सेण्टर हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने पर ओपरेशनल व्यय यदि कोई हो, पर भी कर सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(E) कमेटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की गयी नीलामी का समेकित विवरण टी0टी0जैड0 की बैठक में रखवाना सुनिश्चित करेगी।

(F) कमेटी नीलामी व्यवस्था का सुगम बनाने हेतु अपने स्तर पर नीलामी प्रक्रिया पर आवश्यक संशोधन करने हेतु अधिकृत होगी।

4. जनपद में ऐसे वाहनों के नीलामी हेतु ऑपरेशनल प्रक्रिया हेतु जनपद स्तर पर निम्न अनुसार नीलामी समिति गठित की जायेगी।

नीलामी समिति

1	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक मजिस्ट्रेट (एडीएम स्तर से निम्न न हो)	अध्यक्ष
2	टी0टी0जैड प्राधिकरण द्वारा नामित प्रदूषण बोर्ड का अधिकारी	सदस्य
3	पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक अधिकारी (पुलिस उपायुक्त, यातायात/पुलिस अधीक्षक यातायात)	सदस्य
4	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	सदस्य–सचिव
5	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	सदस्य
6	समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभाग के अधिकारियों को समिति में नामित कर सकेगी।	–

समिति के कार्य निम्नवत् होंगे :–

(A) समिति जिला स्तर पर पुलिस/यातायात/परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के निरुद्ध वाहनों का विवरण प्राप्त कर नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी। नीलामी प्रक्रिया हेतु कम से कम 45 दिन से अधिक अवधि के थाने में निरुद्ध वाहन ही अर्ह होंगे।

(B) पुलिस विभाग से सम्बन्धित वाहनों के डाटा संकलन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग से नामित सदस्य एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित वाहनों के डाटा संकलन की जिम्मेदारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) की होगी।

(C) समिति उक्त सभी वाहनों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी।

(D) समिति नीलामी उपरान्त उक्त वाहनों से सम्बन्धित सूचना एवं फोटोग्राफ एकत्र कर जनपदीय नीलामी कमेटी को नीलामी प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी। कमेटी द्वारा विधि व्यवस्था अनुसार नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति दी जायेगी।

(E) समिति नीलामी तिथि, समय व स्थान निर्धारित कर सूचना ई–मेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त **आर0वी0एस0एफ0** को नीलामी में भाग लेने हेतु सूचित करेगी।

(F) समिति नीलाम वाहनों की सूची कम से कम 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेगी। नीलामी तिथि एवं उक्त प्रकाशन तिथि में न्यूनतम 15 दिवस की समयावधि होनी चाहिए।

(G) समिति नीलामी उपरान्त जनपदीय नीलामी कमेटी के अनुमोदन उपरान्त वाहनों का निस्तारण एवं नीलामी प्रपत्र जारी करेगी।

(H) समिति नीलामी से प्राप्त धनराशि को नीलामी कमेटी द्वारा निर्दिष्ट बैंक खाते में नियमानुसार जमा करवाना सुनिश्चित करेगी।

5. नीलामी में केवल उ0प्र0 में पंजीकृत आर0वी0एस0एफ0 (Registered Vehicle Scrapping Facility) ही प्रतिभाग कर सकेगें।

6. समिति द्वारा नीलामी के वाहनों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण संबंधित जिले के किसी तकनीकी अधिकारी/संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा कराया जायेगा।

7. समिति द्वारा सभी वाहनों के लिए पृथक–पृथक अथवा लॉट के तहत नीलामी '**जहाँ है–जैसा है**' के आधार पर की जायेगी। लॉट के आधार पर नीलामी किये जाने की स्थिति में नीलामी व्यय की गणना वाहनवार समानुपातिक रूप से (Pro rata) की जायेगी।

8. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी पात्र **आर0वी0एस0एफ0** को 01 लाख की धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) सम्बन्धित जिलाधिकारी के नाम बन्धक कर प्रस्तुत करनी होगी। नीलामी उपरान्त सफल **आर0वी0एस0एफ0** के अतिरिक्त अन्य आवेदकों को ई0एम0डी0 प्रपत्र वापस कर दिये जायेंगे।

9. नीलामी उपरान्त सफल बोलीदाता **आर0वी0एस0एफ0** द्वारा तत्काल नीलामी बोली का **25%** धनराशि नीलामी हेतु नाम निर्दिष्ट खाते में जमा की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

10. जनपदीय नीलामी समिति के अनुमोदनोपरान्त सफल बोलीदाता **आर0वी0एस0एफ0** द्वारा 15 दिनों में नीलामी बोली का अवशेष **75%** धनराशि नाम निर्दिष्ट खाते में जमा की जायेगी। उक्त धनराशि के अतिरिक्त देय जी0एस0टी0 भी सफल बोलीदाता **आर0वी0एस0एफ0** द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त सफल बोलीदाता **आर0वी0एस0एफ0** को अवमुक्ति आदेश एवं नीलामी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही उनके द्वारा नीलामी के समय प्रस्तुत किये गये ई0एम0डी0 प्रपत्र वापस किये जायेंगे।
11. यदि सफल बोलीदाता **आर0वी0एस0एफ0** द्वारा बिन्दु–9 एवं 10 के अनुपालन में विफलता की जाती है तो उनकी ई0एम0डी0 धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही आगामी नीलामी हेतु इस **आर0वी0एस0एफ0** को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।
12. **आर0वी0एस0एफ0** द्वारा थानों में निरुद्ध वाहनों को प्राप्त कर वाहनों का निस्तारण कर दिया जायेगा। जिसके उपरान्त उनके द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र नीलामी समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. समिति द्वारा नीलाम किये गये वाहनों के वाहन स्वामियों को प्राप्त नीलाम धनराशि में से नीलामी व्यय भुगतान के उपरान्त अवशेष धनराशि वापस की जायेगी। इस हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–
    (A) समिति द्वारा वाहन पोर्टल अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त वाहन स्वामी के पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु सूचना प्रेषित की जायेगी।
    (B) बिन्दु–ए के क्रम में वाहन स्वामी द्वारा आधार/पैन कार्ड/बैंक खाता विवरण स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
    (C) समिति सचिव द्वारा वाहन स्वामी के बैंक खाते में उक्त धनराशि जमा करायी जायेगी।
    (D) यदि वाहन स्वामी द्वारा बिन्दु–ए के क्रम में 60 दिन तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह धनराशि अपहृत कर टी0टी0जैड0 क्षेत्र में प्रदूषण रोकथाम सम्बन्धी उपाय एवं वेहिकल डिटेंसन सेण्टर हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने पर ओपरेशनल व्यय यदि कोई हो, हेतु प्रयोग की जायेगी।
14. **टी0टी0जैड क्षेत्र से बाहर के जनपदों में पंजीकृत वाहनों हेतु–** राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 28.11.2016 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 10 वर्ष आयु से अधिक पुराने डीजल वाहन अवमुक्त कराये जाने पर रू0 5000/– अर्थ दण्ड (Ecomonic cess) की व्यवस्था की गई है। अन्य जनपदों में पंजीकृत वाहनों को उक्त का लाभ दिया जाना उचित होगा। उक्त व्यवस्था के तहत वाहन स्वामी द्वारा वाहन निरुद्ध होने के 45 दिन की अवधि में जनपदीय कमेटी द्वारा निर्दिष्ट बैंक खाते में रू0 5,000/– की धनराशि जमा की जाती है, तो सम्बन्धित जिला स्तरीय प्रवर्तन इकाई (पुलिस/परिवहन) द्वारा उक्त वाहनों को नियमानुसार शमन शुल्क लेकर अवमुक्त किया जा सकेगा।
15. यदि ऐसे वाहन स्वामियों द्वारा वाहन 45 दिन की अवधि में अवमुक्त नहीं कराये जाते हैं तो ऐसे वाहनों की नीलामी भी समिति द्वारा प्रक्रियानुसार की जा सकेगी।
16. बिन्दु–14 के तहत ऐसे वाहन रू0 5000/– अर्थ दण्ड (Ecomonic cess) जमा कर अवमुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे, जो किसी भी समय टी0टी0जैड0 क्षेत्र के किसी भी जनपद में पंजीकृत/एन0ओ0सी0 प्राप्त वाले वाहन होंगे।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रवर्तन) आगरा।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी
आगरा।

Scanned with OKEN Scanner